Title: Demand to implement the Eighty-Second Constitutional Amendment relating to promotion of SC&ST employees, in its original form.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : महोदय, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के खिलाफ पांच ओएम निकाले गए थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब सांसदों के संयुक्त रूप से विचार करने के बाद 82वें संशोधन में उन दो अध्यादेशों निकाला गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को इसका जो लाभ होना चाहिए, वह नहीं हुआ। जो सर्कुलर निकला था उसमें भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/ 23/96-स्थापना(आरक्षण)-खंड-11, दिनांक 3 अक्तूबर, 2000 द्वारा संविधान के 82वें संशोधन अधिनियम 2000 के बाद 22-7-97 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों/ अधिकारियों की पदोन्नितियों को अपेक्षाकृत कम अंक, मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक रखे जाने के रूप में विद्यमान तथा दी जा रही और बाद में वाप्स ले ली गई ढीलें, रियायतें अब तत्काल बहाल कर दी गई हैं।

* Not Recorded

परन्तु जो सर्कूलर दिया गया है उसके पैरा 4 में 22.7.97 के बाद व 3.10.2000 से पहले किये चयन प्रभावित नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जीरो-आवर में देखकर नहीं पढ़ना चाहिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष जी, जो सर्कूलर दिया गया है उससे जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य से अमेंडमेंट आया था वह बहाल नहीं किया गया है। जो नया पैरा जोड़ा गया है वह न जोड़कर मूल उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, यही मेरी प्रार्थना है।